

राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच

डी.बी. आबकारी अपील (ई एक्स सी आई ए) संख्या 75/2018

आयुक्त, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर, ए-ब्लॉक, सूर्य नगर, अलवर राजस्थान 301002

---- अपीलकर्ता

बनाम

मेसर्स जैन पोल्स इंडस्ट्रीज, बहाला का बास, दिल्ली रोड, अलवर (राजस्थान)।

----उत्तरदाता

अपीलकर्ता(ओं) के लिए : श्री किंशुक जैन, एडवोकेट

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री दक्ष पारीक, एडवोकेट के साथ श्री अर्जुन सिंह, एडवोकेट

माननीय श्री न्यायमूर्ति पंकज भंडारी

माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति शुभा मेहता

आदेशरिपोर्ट योग्य27/02/2024

1. अपीलकर्ता ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35 जी के तहत यह अपील प्रस्तुत की है, जो उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 09.08.2017 के आदेश से व्यथित है।

2. चूंकि उत्तरदाता के वकील द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 35 जी के तहत इस अपील की स्थिरता पर आपत्ति उठाई गई थी, इसलिए दिनांक 14.07.2023 के आदेश के तहत, अपीलकर्ता के वकील को उत्तरदाता के वकील द्वारा "मेसर्स नवीन केमिकल्स मैनुफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड बनाम कलेक्टर ऑफ कस्टम्स: 1993(4) एससीसी 320" में उद्धृत निर्णय के संदर्भ में इस मुद्दे की जांच करने के लिए समय दिया गया था।

3. उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील की स्थिरता के प्रश्न पर सुनवाई हुई।

4. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उत्तरदाता, अर्थात् मेसर्स नवीन केमिकल्स मैनुफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) के अधिवक्ता द्वारा संदर्भित निर्णय वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता, क्योंकि वह मामला सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129 सी से संबंधित था, जबकि वर्तमान मामला अधिनियम की धारा 35 जी से संबंधित है। यह भी तर्क दिया गया है कि उक्त प्रावधान

समरूप नहीं हैं, इसलिए यह निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

5. अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि लघु उद्योग छूट केवल तभी उपलब्ध है जब कारोबार ₹1 करोड़ से कम हो। उत्तरदाता के पास तीन उपक्रम हैं, इसलिए वे छूट के हकदार नहीं थे और विभाग द्वारा लघु उद्योग छूट वापस ले ली गई थी। यह भी तर्क दिया गया है कि अधिनियम की धारा 35 जी के खंड (1) के तहत प्रदत्त प्रतिबंध लागू नहीं होगा और उच्च न्यायालय को अपील पर विचार करने का अधिकार होगा।

6. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित वकील ने "सनसुक इंडस्ट्रीज बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मुंबई IV: 2018 (16) जी.एस.टी.एल. 469 (बॉम्बे)"; "अन्नपूर्णा री-रोलिंग (पी) लिमिटेड बनाम सेस्टैट, चेन्नई: 2018 (14) जी.एस.टी.एल. 512 (मद्रास)"; "एक्सपो-फिन इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जयपुर-I: 2018(8) जी.एस.टी.एल. 160 (राजस्थान)" और "प्रधान केंद्रीय जीएसटी आयुक्त बनाम मनियार एंड कंपनी: 2018 (16) जी.एस.टी.एल. 85 (गुजरात)" पर भरोसा जताया है।

7. उत्तरदाता की ओर से उपस्थित वकील ने अपील का विरोध किया है और तर्क दिया है कि यदि एसएसआई छूट वापस ले ली जाती है, तो उत्पाद शुल्क देय हो जाएगा, इसलिए, यह अधिनियम की धारा 35 जी के तहत प्रदान किए गए अपवाद के अंतर्गत आएगा।

8. उत्तरदाता के वकील ने "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जयपुर बनाम इलेक्ट्रो-मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एवं अन्य: 2008 (17) एससीसी 177" पर भरोसा जताया है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई थी, जब राजस्व द्वारा एसएसआई छूट का लाभ इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि उत्तरदाता ने धोखाधड़ी से एसएसआई छूट का लाभ उठाने के लिए दो फ्रंट यूनिट जारी की थीं।

9. यह तर्क दिया गया है कि एक ओर अपीलकर्ता सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहा है क्योंकि अधिनियम की धारा 35 जी के तहत अपवाद है और दूसरी ओर, अपीलकर्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहा है और दावा कर रहा है कि मामला अधिनियम की धारा 35 जी के तहत अपवाद के अंतर्गत नहीं आएगा।

10. उत्तरदाता के वकील ने "सेवा कर आयुक्त, दिल्ली बनाम भारती एयरटेल लिमिटेड: सीईएसी संख्या 8/2013 और सीएम संख्या 1975-1976/2013, दिनांक 26.02.2013 को निर्णयित" और "सीमा शुल्क एवं सी. एक्स. आयुक्त, गोवा बनाम प्रिमेला सैनिटरी प्रोडक्ट्स (पी) लिमिटेड: विविध सिविल आवेदन संख्या 344/2001, दिनांक 18.02.2002

को बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा निर्णयित" पर भी भरोसा जताया है।

11. यह तर्क दिया गया है कि प्रिमेला सैनिटरी प्रोडक्ट्स (पी) लिमिटेड (सुप्रा) अधिनियम की धारा 35 एच से संबंधित मामला था, जिसमें बॉम्बे उच्च न्यायालय ने माना था कि आवेदक द्वारा दायर आवेदन में ऐसा मुद्दा उठाया गया है जो उत्पाद शुल्क की दर या मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए माल के मूल्य से संबंधित प्रश्न के निर्धारण से संबंधित है और, इस प्रकार, अधिनियम की धारा 35 एच के तहत संदर्भ बनाए रखने योग्य नहीं है।

12. हमने तर्कों पर विचार किया है तथा अधिनियम की धारा 35 जी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

13. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35 जी(1) इस प्रकार है:-

"उच्च न्यायालय में अपील- (1) अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा 1 जुलाई, 2003 को या उसके पश्चात पारित प्रत्येक आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी (जो अन्य बातों के साथ-साथ उत्पाद शुल्क की दर या मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए माल के मूल्य से संबंधित किसी प्रश्न के निर्धारण से संबंधित आदेश नहीं है), यदि उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है।"

14. उपर्युक्त प्रावधान के अवलोकन से पता चलता है कि यदि उच्च न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्गस्त है, तो अपील उच्च न्यायालय में की जा सकेगी, तथापि, यदि वह प्रश्न उत्पाद शुल्क की दर या मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए माल के मूल्य से संबंधित किसी प्रश्न के निर्धारण से संबंधित है, तो अपील नहीं की जा सकेगी।

15. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जयपुर बनाम इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एवं अन्य (सुप्रा) में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा अपील दायर की गई थी, जब राजस्व द्वारा एसएसआई छूट का लाभ इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि उत्तरदाता ने एसएसआई छूट का धोखाधड़ी से लाभ उठाने के लिए दो फ्रंट यूनिट जारी की थीं। उक्त अपील सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह अच्छी तरह से जानते हुए दायर की गई थी कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपील स्वीकार्य नहीं है। उस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अपील पर विचार किया था। सीमा शुल्क आयुक्त एवं सी. एक्स., गोवा (सुप्रा) में बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने माना कि अधिनियम की धारा 35 एच के तहत संदर्भ स्वीकार्य नहीं है, जहां मुद्दा उत्पाद शुल्क की दर से संबंधित प्रश्न के निर्धारण या मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए माल के मूल्य से संबंधित है।

16. हमारा यह सुविचारित मत है कि इस मामले में, उत्तरदाता को केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के लिए लघु उद्योग छूट प्रदान की गई है। यदि यह छूट वापस ले ली जाती है, तो उत्पाद शुल्क देय हो जाएगा और परिणामस्वरूप, यह अन्य बातों के अलावा, उत्पाद शुल्क की दर से संबंधित किसी भी प्रश्न के निर्धारण से संबंधित एक आदेश होगा। इसके अतिरिक्त, यदि छूट वापस ले ली जाती है, तो मूल्यांकन के उद्देश्य से माल का मूल्यांकन किया जाएगा और इस प्रकार, यह अधिनियम की धारा 35 जी के खंड (1) के अंतर्गत प्रदत्त अपवाद के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार, यदि तीन उपक्रमों को एक उपक्रम माना जाता है, तो निर्धारण के उद्देश्य से माल का मूल्य भी तीनों उपक्रमों के संयुक्त रूप से आकलित किया जाएगा, इस प्रकार विवाद मूल्यांकन के उद्देश्य से माल के मूल्य से संबंधित होगा और इस प्रकार यह उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा। अपील स्वीकार करने पर विशिष्ट प्रतिबन्ध होने के कारण, यदि प्रश्न उत्पाद शुल्क की दर या मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए माल के मूल्य से संबंधित है, तो वर्तमान अपील उच्च न्यायालय के समक्ष स्वीकार्य नहीं है।

17. उपरोक्त के मद्देनजर, हम अधिकार क्षेत्र के अभाव के आधार पर वर्तमान अपील पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं और तदनुसार, इसे पोषणीय न मानते हुए खारिज किया जाता है। स्थगन आवेदन भी निस्तारित किया जाता है।

(शुभा मेहता), जे

(पंकज भंडारी), जे

अमित/23

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate